राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(75)परि/कर/मु./08 / 16044 जयपुर, दिनांकः–19/08/16

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम स. 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप–धारा (8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 19/08/16 से 25/09/16 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला जैसलमेर) आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनो के लिए 5500/– रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

राज्यपाल के आदेश से,
(डा. मनीषा अरोडा)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– प.6(75)परि/कर/मु./08 / 16045–57 जयपुर, दिनांक– 19/8/2016

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनाक 19/08/16 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री , राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री , राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
8. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर
10. श्री संजय सिंघल, SA को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
12. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव